



OFFICE OF THE CHIEF COMMISSIONER (BHOPAL ZONE); CUSTOMS, CENTRAL EXCISE & SERVICE TAX  
कार्यालय मुख्य आयुक्त (भोपाल ज़ोन), केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क एवं सेवाकर, भोपाल  
48, Administrative Area, Arera Hills, Hoshangabad Road, Bhopal (M.P.) - 462011  
48, प्रशासनिक क्षेत्र, अरेरा हिल्स, होशंगाबाद रोड़ भोपाल (एम.पी.) - 462011

Tele No.: 0755-2765208

E-mail- [ccu-cexbpl@nic.in](mailto:ccu-cexbpl@nic.in)

Fax No. : 0755-2552141

Web : [www.ccobz.gov.in](http://www.ccobz.gov.in)

फा.क्र. II(03)05/CCU/BZ/2017

भोपाल, दिनांक - 07.02.2017


To,  
NAME -  
ADDRESS-

**Subject- Recruitment to the post of Inspector/Tax Assistant, under CBEC through Combined Graduate Level Examination, 2015 - reg.**

1. You have been nominated for appointment to the post of Inspector/Tax Assistant (as per Annexure-D/E) & allocated to Cadre Controlling Authority, Bhopal on the basis of Combined Graduate Level Examination, 2015 conducted by Staff Selection Commission.  
कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित संयुक्त स्नातक स्तर परीक्षा-2015 के आधार पर निरीक्षक/कर सहायक के लिये संवर्ग नियंत्रक अधिकारी, भोपाल के अंतर्गत आपको चयनित कर नियुक्ति के लिये आपका नामांकन किया गया है ।
2. You are directed to appear before the undersigned on 20.02.2017/21.02.2017 (as per Annexure-D/E) at 10.00 A.M. for submission and verification of documents.  
निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 20.02.2017 / 21.02.2017 (परिशिष्ट-D/E के अनुसार) को प्रातः 10.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष अभ्यर्थी दस्तावेजों के सत्यापन के लिए उपस्थित होना सुनिश्चित करें ।
3. The candidates are directed to submit the duly filled in Attestation Form (in three copies). A copy of blank Attestation Form is enclosed. The candidates shall get photocopied blank Attestation Form prior to filling it up and make entries in all the three forms in original. A recent photograph shall also be pasted on each form which should be self attested. All the entries should be made neatly and no column should be left blank. Further candidates are directed to bring the original certificates/documents related to their Date of Birth (matriculation certificate), Educational Qualification, Caste Certificate and Disability Certificate, whichever is applicable, along with 3 set of self attested photocopies of the same. The Caste Certificate and Disability Certificate should be in the prescribed format.  
अभ्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि पूर्ण रूप से भरे हुये साक्ष्यांकन प्रपत्र (तीन प्रतियों में) को प्रस्तुत करें । साक्ष्यांकन प्रपत्र की प्रति संलग्न है । अभ्यर्थी दिये गये प्रपत्र की छायाप्रति कराकर तीनों प्रपत्रों में मूल रूप से जानकारी भरें । तीनों प्रपत्रों में दिये गये स्थान पर अपनी पासपोर्ट आकार की फोटो लगायें एवं उसे स्वप्रमाणित भी करें । दिये गये सभी कॉलम में जानकारी साफ सुथरे तरीके से भरें एवं कोई भी कालम अपूर्ण नहीं छोड़ें । उसके साथ ही अभ्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि वे सभी दस्तावेजों यथा जन्म प्रमाण पत्र (हार्इस्कूल सर्टिफिकेट), शैक्षणिक योग्यता, जाति प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र (जो भी लागू हो) की मूल प्रति के साथ तीन प्रतियों में स्वप्रमाणित छायाप्रति अपने साथ लायें । जाति प्रमाण पत्र एवं दिव्यांगता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में होना चाहिये ।

4. Further, the candidates are directed to undergo medical examination with the reference to this letter and produce Medical Certificate of fitness for Government Service obtained from a Medical Officer not below the rank of Civil Surgeon or a District Medical Officer or Medical Officer of equivalent status of a Government Hospital, duly countersigned by proper authority wherever required, along with a copy of the "Statement and declaration" made before the said authority in the enclosed format duly signed by the issuing authority of the aforesaid certificate. Further, you are directed to get your recent photograph pasted on the medical certificate of fitness and get it verified by the said authorities.  
अभ्यर्थी को यह भी निर्देशित किया जाता है कि पत्र के साथ संलग्न सिविल सर्जन सह स्वास्थ्य अधिकारी के नाम जारी पत्र के अनुसार अपना चिकित्सकीय परीक्षण कराकर शासकीय सेवा हेतु चिकित्सीय योग्यता प्रमाण पत्र जो कि सिविल सर्जन या जिला स्वास्थ्य अधिकारी अथवा समकक्ष स्तर के शासकीय चिकित्सालय के चिकित्सक द्वारा जारी तथा जहा आवश्यक हो सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित हो, प्रस्तुत करें । इसके साथ ही विवरण तथा घोषणा पत्र की संलग्न प्रति को पूर्ण रूप से भरकर सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित करवाना सुनिश्चित करें । साथ ही उक्त प्रमाण पत्र पर आपको नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो भी चिपका कर उसे संबंधित अधिकारी से प्रमाणित करवाना सुनिश्चित करें ।
5. The candidates are directed to bring with them one of the original Photo Identity Card on the stipulated date. They are also advised to fill their preference form carefully as later no request for change of Commissionerate will be entertained.  
अभ्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि वह निश्चित दिनांक एवं समय पर अपने साथ अपना मूल पहचान पत्र लायें । उन्हें यह भी सलाह दी जाती है कि संलग्न आयुक्तालयों में पदस्थापना का वरीयता प्रतिवेदन भी सावधानीपूर्वक भरें, इस संबंध में बाद में आयुक्तालय की वरीयता में परिवर्तन का आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा ।
6. After having completed document verification the candidates will be subjected to medical examination and thereafter they will undergo Physical Endurance Test which will include walking and cycling. Candidates have to make their own arrangement for bi-cycle.  
साक्ष्यांकन फार्म की जांच होने के पश्चात् दिनांक 20/21.02.2017 को ही आपकी शारीरिक योग्यता एवं मापदण्ड का परीक्षण भी किया जायेगा । शारीरिक योग्यता परीक्षण के अंतर्गत साईकिल चालन एवं पैदल चलने का परीक्षण निर्धारित मापदण्ड के अनुसार किया जायेगा ।
7. No T.A. & D.A. will be admissible for the journey and candidates will have to arrange for their boarding and lodging.  
अभ्यर्थी को अपने भोजन एवं रुकने की स्वयं व्यवस्था करनी होगी एवं वे किसी भी प्रकार के दैनिक/यात्रा भत्ता के पात्र नहीं होंगे ।
8. In the event of non-reporting on the scheduled date and time, it will be presumed that the candidate is not interested in accepting the post of Inspector/Tax Assistant in this Department and his candidature will be cancelled & his dossier will be returned to Staff Selection Commission. For more details see the website [www.ccobz.gov.in](http://www.ccobz.gov.in)  
निर्धारित समय एवं दिनांक पर उपस्थित नहीं होने की दशा में यह माना जायेगा कि अभ्यर्थी इस विभाग में निरीक्षक/कर सहायक के पद पर नियुक्ति के लिये इच्छुक नहीं है । ऐसी स्थिति में उम्मीदवारी निरस्त करते हुये डोजियर कर्मचारी चयन आयोग को वापस कर दिया जायेगा । पूर्ण जानकारी हेतु विभागीय वेबसाईट [www.ccobz.gov.in](http://www.ccobz.gov.in) देखें ।

संलग्न- उपरोक्तानुसार

  
07.02.17  
(आर.एस. माहेश्वरी)  
अपर आयुक्त (मु.आ.का.)



OFFICE OF THE CHIEF COMMISSIONER (BHOPAL ZONE); CUSTOMS, CENTRAL EXCISE & SERVICE TAX

कार्यालय मुख्य आयुक्त (भोपाल ज़ोन), केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क एवं सेवाकर, भोपाल

48, Administrative Area, Arera Hills, Hoshangabad Road, Bhopal (M.P.) - 462011

48, प्रशासनिक क्षेत्र, अरेरा हिल्स, होशंगाबाद रोड भोपाल (एम.पी.) - 462011

Tele No.: 0755-2765208

E-mail- [ccu-cexbpl@nic.in](mailto:ccu-cexbpl@nic.in)

Fax No. : 0755-2552141

Web : [www.ccobz.gov.in](http://www.ccobz.gov.in)

फा.क्र. II(03)05/CCU/BZ/2017

भोपाल, दिनांक - 07.02.2017

प्रति,

श्रीमान सिविल सर्जन सह स्वास्थ्य अधिकारी,

**DISTRICT-**

**Subject- Medical examination of the candidate selected for the post of Inspector/Tax Assistant under CBEC through Combined Graduate Level Examination, 2015 - reg.**

1. In the above context, it is to inform you that Cadre Controlling Authority, Bhopal is considering the name of the Mr./Ms. .... for the post of Inspector/Tax Assistant, Central Excise. If candidate found medically fit by you, then please issue the necessary medical certificate. If there is any prescribed fee for medical examination under rule, you may charge the same from the candidate and the same will be reimbursed to the candidate at the time of his/ her joining in the department.

उपरोक्त संदर्भ में केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क विभाग में निरीक्षक/कर सहायक, केंद्रीय उत्पाद शुल्क के पद पर श्री/कु. .... को नियुक्ति प्रदान करने पर संवर्ग नियंत्रक अधिकारी, भोपाल द्वारा विचार किया जा रहा है। यदि स्वास्थ्य की दृष्टि से योग्य हों तो कृपया आवश्यक प्रमाण पत्र जारी करें। नियमों के अंतर्गत निर्धारित स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क परीक्षण के समय अभ्यर्थी से लिया जावे जो उन्हें इस विभाग में उनके कार्यभार ग्रहण करने पर वापिस कर दिया जावेगा।

2. It is also requested to get the fully filled declaration form (as prescribed under office order no. F-(1)55-56 M-11, dated 27.01.1957 issued by Ministry of Health) from the candidate and after dully attestation by you the same should be returned to the candidate along with the medical fitness certificate.

स्वास्थ्य मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ-(1)55-56 एम-11, दिनांक 27.01.1957 के अनुसार उम्मीदवार से स्वास्थ्य परीक्षण के पूर्व अपने समक्ष घोषणा पत्र भरवा लें और इसे साक्ष्यांकित कर चिकित्सीय योग्यता प्रमाण पत्र के साथ उम्मीदवार को प्रदान करने का कष्ट करें।

संलग्न- उपरोक्तानुसार

  
07.02.17

(आर.एस. माहेश्वरी)  
अपर आयुक्त (मु.आ.का.)